

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) पंजाब एवं यू.टी. चण्डीगढ़ की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही बैठक दिनांक 11.04.2022 को दोपहर 12.30 बजे श्री होवैदा अब्बास, प्रधान महालेखाकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 31.03.2022 को समाप्त हुई तिमाही की प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श हुआ। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

क्रमांक	नाम व पदनाम सर्व श्री / श्रीमती	अभ्युक्ति
1.	आकाश गोयल, वरिष्ठ उप महालेखाकार	सदस्य
2.	शीशराम, उप महालेखाकार	सदस्य
3.	सरवन लाल कटोच, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्त्यार सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
5.	गुरप्रताप सिंह, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
6.	मधुबाला सैनी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
7.	राजबाला, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
8.	जतिंदर पाल मालिक, वरिष्ठ लेखा अधिकारी	सदस्य
9.	हेमंत, सहायक लेखा अधिकारी	सदस्य
10.	राकेश रंजन मिश्रा, हिंदी अधिकारी	सदस्य
11.	एकता, वरिष्ठ अनुवादक	सदस्य
12.	मनीष कुमार, कनिष्ठ अनुवादक	सदस्य
13.	कविता शर्मा, कनिष्ठ अनुवादक	सदस्य

- गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण और पुष्टि  
बैठक में गत बैठक के कार्यवृत्तों का पुनर्निरीक्षण कर उनकी पुष्टि कर दी गई।
- 31-03-2022 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार-विमर्श  
31-03-2022 को समाप्त हुई तिमाही की हिन्दी प्रगति रिपोर्ट पर विचार- विमर्श हुआ। 'क' और 'ख' क्षेत्रों के लिये हिन्दी पत्राचार के 90 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्य के सामने इस कार्यालय से 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के साथ पत्राचार क्रमशः 90.14 तथा 86.28 प्रतिशत रहा जिस पर अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभागों को 'ख' क्षेत्र में प्रतिशतता बढ़ाने का कहा।
- हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय/ गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के आदेशों एवं वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन  
बैठक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय/गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्राप्त आदेशों और निर्देशों के विषय में अध्यक्ष

महोदय को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि सभी संबंधित आदेशों और निर्देशों पर यथानुसार कार्रवाई कर दी गई और उन्होंने इस संबंध में संतोष व्यक्त किया।

4. **हिंदी टंकण शब्द संसाधन प्रशिक्षण के संबंध में**

अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि हिंदी टंकण / शब्द संसाधन प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित करने पर उन्हें 2-3 दिन पहले दूरभाष से प्रशिक्षण हेतु पुनः सूचित किया जाए।

5. **तिमाही रिपोर्ट में पत्राचार की प्रतिशतता के संबंध में**

अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश दिया कि जिन अनुभागों की हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता लक्ष्य से कम है वे हिंदी में पत्राचार की प्रतिशतता बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

6. **अनुभागों का हिंदी निरीक्षण**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में दिये गए लक्ष्य के अनुसार कार्य करें और कार्यालय के 25 प्रतिशत अनुभागों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

7. **धारा 3(3) और नियम 5 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि धारा 3(3) और नियम 5 की अनुपालना सुनिश्चित की जाए।

8. **तिमाही रिपोर्ट में नियंत्रक अनुभागों द्वारा आंकड़े उपलब्ध करवाना**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि हिंदी अनुभाग द्वारा तिमाही रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियंत्रक अनुभाग द्वारा दिए गए आंकड़ें प्रस्तुत किए जाएं।

9. **यू.टी. उप कार्यालय के निरीक्षण के संबंध में**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि अगली तिमाही में यू.टी.उप कार्यालय का राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी निरीक्षण किया जाए।


10. **संसदीय प्रश्नावली तैयार करने हेतु .**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि संसदीय प्रश्नावली का मसौदा तैयार कर समय पर प्रस्तुत किया जाए।

11. **अनुभागों को शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट करने के संबंध में**

प्रधान महालेखाकार महोदय ने आदेश दिया कि गृह प्रशिक्षण कक्ष तथा हिंदी कक्ष शत प्रतिशत हिंदी में कार्य करेंगे।

अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद-प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


  
उप महालेखाकार(प्रशासन)

क्र:- हिं.क./रा.का.स./22-23/ 23- 24

दिनांक:- 19/04/22

प्रतिलिपि:-

1. सूचना प्रोद्योगिकी सहायता कक्ष:- इस अनुरोध के साथ कि इन कार्यवृत्तों को सभी सदस्यों के सूचनार्थ/अनुपालन हेतु कार्यालय की वैबसाइट पर 'हिंदी कॉर्नर' में अपलोड करने की व्यवस्था करें।
2. सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 (दिल्ली), ब्रिक्कट-2 तृतीय तल, भिकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नयी दिल्ली -110066 को सूचनार्थ।

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (हिंदी)